संख्या-34 /2018-1357/58-2018-87/2018

प्रेषक

आर0पी0 सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊ: दिनांक: 31 मई, 2018**

विषय: **वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान सं0-83 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-789-01-0109-पर ड्राप मोर क्राप-माइक्रोइरीगेशन की योजना में रू0-1970.14 लाख को अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-48/बजट/2018-19, दिनांक 16.05.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30.03.2018 एवं कार्यालय ज्ञाप सं0-3/2018/बी-1-438/दस-2018-231/2018 दिनांक 24.04.2018 में निहित निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत उद्यान शाखा के अन्तर्गत अधोलिखित लेखाशीर्षकवार/मदवार विवरण के अनुसार संचालित चालू योजनाओं में प्राविधानित धनराशि रू0-4273.95 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0-1970.14 लाख (रूपये-उन्नीस करोड़ सत्तर लाख चौदह हजार) मात्र निम्नलिखित विवरण के अनुसार उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं उक्त धनराशि की वित्तीय तथा प्रशासकीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है :-

(धनराशि लाख रूपये में)

लेखाशीर्षक/योजना का नाम	**कोड सं0/मद का नाम**	**आय-व्ययक प्राविधान**	**अवमुक्त की जा रही धनराशि**
<u>अनुदान सं0-83</u> **2401-फसल कृषि कर्म-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0109-पर ड्राप मोर क्राप-माइक्रोइरीगेशन (के.60/रा.40-के+रा.)**	**27-सब्सिडी**	**4252.18**	**1948.36**
	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	**21.77**	**21.78**
	योग	**4273.95**	**1970.14**

(रूपये-उन्नीस करोड़ सत्तर लाख चौदह हजार मात्र)

उक्त के अतिरिक्त योजनान्तर्गत प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम में शत प्रतिशत भारत सरकार का अंश निहित होगा। तदनुसार केन्द्रांश/राज्यांश की अनुदान धनराशि का भुगतान विभाग द्वारा किया जायेगा।

(2) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण आवश्यकता होने पर ही आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

(3) अवमुक्त की जा रही उक्त धनराशि का व्यय भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा आवंटित परिव्यय सीमा के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत योजनान्तर्गत धनराशि का व्यय नियमानुसार अवमुक्त की जा रही धनराशि की सीमा के अन्तर्गत किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5) अवमुक्त की जा रही उक्त धनराशि के व्यय करने के पूर्व जहॉ राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो उन मामलों में धनराशि के व्यय करने से पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(6) अवमुक्त की जा रही उक्त धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा जिस हेतु स्वीकृत की गयी है।

(7) ड्रिप/स्प्रिंकलर प्रणाली के अन्तर्गत लाभार्थियों को भुगतान करने के सम्बन्ध में डी0बी0टी0 की प्रक्रिया निम्नवत अपनायी जायेगी :-

i वेब पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण के आधार पर लाभार्थियों को प्रथम-आवक प्रथम-पावक के सिद्वान्त पर चयनित कर लाभाविन्त किया जायेगा।

ii योजनान्तर्गत इम्पैनल्ड निर्माता फर्मों में से किसी से भी ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई सुविधा का लाभ प्राप्त करने हेतु लाभार्थी कृषक स्वतंत्र होगा और निर्माता फर्मों की स्वयं मूल्य प्रणाली के आधार पर किसी भी निर्माता फर्म अथवा उनके अधिकृत डीलर्स/डिस्ट्रीब्यूटर्स से आपूर्ति/स्थापना का कार्य निजी श्रोत से भुगतानकरते हुए शासकीय अनुदान की धनराशि डी0बी0टी0 के माध्यम से बैंक खाते/ऋण खाते में अन्तरित की जायेगी।

iii लाभार्थी कृषक द्वारा ड्रिप/स्प्रिंकलर आपूर्ति/स्थापना की सम्पूर्ण धनराशि एकमुश्त निजी श्रोत से नहीं दे पाने की स्थिति में शासकीय अनुदान की धनराशि के बराबर भुगतान हेतु पोस्ट डेटेड चेक (पी0डी0सी0) सम्बन्धित निर्माता फर्म अथवा उनके अधिकृत डीलर्स/डिस्ट्रीब्यूटर्स को हस्तगत कराकर किया जा सकता है।

iv लाभार्थी से प्राप्त संतुष्टि प्रमाण-पत्र जिलाधिकारी द्वारा गठित सत्यापन समिति जिसमें जनपदीय उद्यान अधिकारी सदस्य सचिव होंगे की संतोषजनक रिपोर्ट एवं निर्माता फर्म अथवा उनके अधिकृत डीलर/डिस्ट्रीब्यूटर्स को किये गये भुगतान के आधार पर जनपदीय उद्यान अधिकारी द्वारा नियमानुसार शासकीय अनुदान का वितरण/समायोजन एन0ई0एफ0टी0/आर0टी0जी0एस0 के माध्यम से डी0बी0टी0 प्रक्रिया के अन्तर्गत लाभार्थी कृषक के खाते में तथा बैंक ऋण की स्थिति में लाभार्थी के बैंक ऋण खाते में किया जायेगा।

(8) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30.03.2018 में यह प्राविधान है कि बजट में व्यवस्थित/कार्यक्रम (केन्द्र पोषित वाहय सहायतित तथा राज्य/जिला सेक्टर) जिनमें राज्य सरकार द्वारा लाभार्भी/गैर सरकारी संस्था(एन0जी0ओ0) को किसी प्रकार (Cash or Kind) की सब्सिडी/सहायता अनुदान (गैर वेतन) दिया जाना है। ऐसी सभी योजनाओं/कार्यक्रमों हेतु मा0 मंत्रिपरिषद के अनुमोदन से योजना के लिए जारी मार्ग-दर्शक सिद्वान्त (गाइड लाइन्स)/नियमावली के अनुसार योजना/कार्यक्रमों की वित्तीय स्वीकृतिया निर्गत की जायेंगी। प्रश्नगत योजना पर उपरोक्तानुसार केन्द्रांश/राज्यांश टाप-अप सहित दिये जाने हेतु मा0 मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है। तदनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

(9) लाभार्थी का चयन निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत किये गये दिशा-निर्देशों के अधीन नियमानुसार किया जायेगा।

(10) लाभार्थी चयन/अनुदान वितरण में अनियमितता पाये जाने पर सम्बन्धित जनपदीय अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(11) निर्माता फर्म द्वारा लाभार्थी कृषक के खेत में स्थापित संयंत्र 3 वर्ष तक फ्री सेल सर्विस की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

(12) योजना पर किये गये व्यय के संबंध में मासिक विवरण प्रत्येक माह की 05 तारीख तक शासन को उपलब्ध कराये जाय।

(13) इस संबंध में होने वाला व्यय अनुदान सं0-83 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 के आय-व्ययक में लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01 केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0109-पर ड्राप मोर क्राप-माइक्रोइरीगेशन (के.60/रा.40-के+रा.) योजना के अन्तर्गत उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

2- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018 दिनांक 30.03.2018 एवं कार्यालय ज्ञाप सं0-3/2018/बी-1-438/दस-2018-231/2018 दिनांक 24.04.2018 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहें हैं।

भवदीय,

(आर0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-34/2018-1357(1)/58-2018, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ।
(2) सचिव भारत सरकार कृषि मंत्रालय कृषि एवं सहकारिता विभाग कृषि भवन नई दिल्ली।
(3) वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(4) निदेशक कृषि विभाग कृषि भवन लखनऊ।
(5) समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
(6) समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(7) समस्त मण्डलीय उप निदेशक उद्यान उत्तर प्रदेश।
(8) समस्त जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक राजकीय उद्यान/आलू एवं शाकभाजी विकास अधिकारी उत्तर प्रदेश।
(9) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(10) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0शासन।
(11) बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग उ0प्र0शासन।
(12) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-321/बजट/2017-18 दिनांक 31.03.2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 में निहित निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुए वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान सं0-83 के अन्तर्गत उद्यान शाखा के अन्तर्गत अधोलिखित लेखाशीर्षकवार/मदवार विवरण के अनुसार संचालित चालू योजनाओं में प्राविधानित धनराशि रू0-5588,95 लाख के सापेक्ष धनराशि रू0-295.00 लाख (रूपये-दो करोड़ पच्चानवे लाख) मात्र निम्नलिखित विवरण के अनुसार उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने एवं उक्त धनराशि की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते हैं:-

अनुदान सं0-83 के अन्तर्गत उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तर प्रदेश की उद्यान शाखा के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए अवमुक्त हेतु प्रस्तावित धनराशि

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	लेखाशीषर्क/योजना का नाम		कोड सं0/मद का नाम	आय-व्ययक प्राविधान	अवमुक्त की जा रही धनराशि
1	2		3	4	5
1	2401-फसल कृषि कर्म-				
	789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना				
	01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-				
	0108-राष्ट्रीय बागवानी मिशन	27-	सब्सिडी	978.00	
	(के.60/रा.40-के. ्+ रा.)	44-	प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	42.00	
			योग-0108	1020.00	0.00
2	0109-पर ड्राप मोर क्राप-माइक्रोइरीगेशन योजना				
	(के.60/रा.40-के. + रा.)	27-	सब्सिडी	4252.18	
		44-	प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	21.77	
			योग-0109	4273.95	0.00
			योग-01	5293.95	0.00
3	07-औद्यानिक विकास कार्यक्रम	27-	सब्सिडी	260.00	260.00
		42.	अन्य व्यय	35.00	35.00
			योग-07	295.00	295.00
			योग-04	295.00	295.00
			योग-2401	5588.95	295.00

(धनराशि रू0-दो करोड़ पच्चानवे लाख मात्र)

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय विभाग की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार दो-दो माह की फेजिंग करते हुए किया जाय तथा कोषागार से धनराशि का आहरण आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

(2) व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। इस सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों सहित मितव्ययिता के सम्बन्ध में जारी

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेशों एवं वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 में निहित निर्देशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(3) जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(4) बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियन्त्रण के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना से स्वीकृत नहीं हुआ/हो रहा है।

(6) भण्डार क्रय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(7) निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होंगे कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाये। यदि किसी विनियोग की प्राथमिक इकाई के अधीन आनुपातिक आधार पर व्यय में किसी बड़े अन्तर होने की सम्भावना मालूम पड़े तो उसे तत्काल शासन एवं वित्त विभाग के संज्ञान में लाया जाय।

(8) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय आय-व्ययक 2018-19 के बजट साहित्य में उल्लिखित लेखाशीर्षक एवं प्राविधानित धनराशि की सीमा के भीतर ही किया जायेगा। अन्य मद में किया गया व्यय वित्तीय अनियमितता माना जायोगा।

(9) वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 में दी गयी शर्तो एवं प्रतिबन्धों का अनुपालन भी कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये। विचलन की स्थिति में वित्तीय अनियमितता माना जायेगा। जिसके लिए निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0लखनऊ एवं वित्त नियन्त्रक, उद्यान विभाग एवं सम्बन्धित जनपदीय अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(10) शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रपत्र पर प्रत्येक माह के 05 तारीख तक मासिक व्यय विवरण उपलब्ध कराया जाय।

2- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30.03.2018 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(आर0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

<u>संख्या-34/2018-1357(1)/58-2018 तद्दिनांक :-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- महालेखाकार, (लेखा परीक्षक), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
3- वित्त नियंत्रक, निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5-- बजट प्रकोष्ठ समाज कल्याण विभाग उ0प्र0शासन।
6- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनु0-1, उत्तर प्रदेश शासन।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनु0-1, उत्तर प्रदेश शासन।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in